न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 87 / 2024 जीसीएमएस नं.:– 2024 / 247

1. धर्मवीर पुत्र स्व0 बलवन्त सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरैठा खुर्द तहसील मनियां जिला धौलपुर

1/1 राधा पत्नि धर्मवीर जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरैठा खुर्द तहसील मनियां जिला धौलपुर

1/2 हिमांशू नाबालिग पुत्र धर्मवीर सरपस्ती मॉ राधा पत्नि पत्नि धर्मवीर जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरैठा खुर्द तहसील मनियां जिला धौलपुर

1/3 अंशिका नाबालिग धर्मवीर सरपस्ती मॉ राधा पत्नि पत्नि धर्मवीर जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरैठा खुर्द तहसील मनियां जिला धौलपुर

——— ——————प्रार्थी

बनाम

1. ओमवीर पुत्र बलवन्त सिंह
2. देवेन्द्र पुत्र बलवन्त सिंह
3. दामोदर पुत्र बलवन्त सिंह
4. रामकिशोर पुत्र बलवन्त सिंह
5. वीरेश पुत्र बलवन्त सिंह
6. मुन्नी पत्नी बलवन्त सिंह
7. परीक्षत पुत्र प्यारे लाल

जातिगण ठाकुर निवासीगण बरैठा खुर्द तहसील मनियां जिला धौलपुर

—————— तरतीवी अप्रार्थी

8. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार मनियां।

——— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 एल0आर0 एक्ट0

उपस्थितिः– श्री इन्द्रपाल सिंह जादौन वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार, अप्रार्थीगण की ओर से वकील पंकज बघेला

दिनांक – 5-8-25

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया कि उसका नाम जमाबंदी आराजी खसरा नंबर 2094 रकवा 0.3794 है0, खसरा नंबर 2097 रकवा 0.4173 है0, खसरा नंबर 2098 रकवा 0,3920 है0, नंबर 2099 रकवा 0.1517, खसरा नंबर 2102 रकवा 0.0885

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

बांके ग्राम बरैठा तहसील मनियां जिला धौलपुर में उपनाम भूरीसिंह अंकित हो गया है। अतः मेरा नाम जमाबंदी में धर्मवीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह करवाया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, ग्राम पंचायत बरैठा का प्रमाण पत्र जमाबंदी की प्रमाणित प्रति एवं अन्य पहचान संबंधित दस्तावेज आधारकार्ड, जनआधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र इत्यादि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर से तलब की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया है और प्रार्थी का नाम भूरीसिंह के स्थान पर धर्मवीर अंकन कराये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक 422 दिनांक 08.05.2025 से यह अवगत कराते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि मजमें आम में उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का असली नाम धर्मवीर है। जिसका कुछ दिनों पूर्व दिहांत हो चुका है रिपोर्ट के मौका पर्चा से यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भूरी पुत्र बलवंत जाति ठाकुर दर्ज है जिसे कि ग्राम वासियों ने मजमें आम में सहवन से गलत दर्ज होना बताया है। प्रार्थी का असली नाम धर्मवीर पुत्र बलवंत जाति ठाकुर है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी धर्मवीर को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पहचान संबंधित दस्तावेजों में धर्मवीर पुत्र बलवन्त सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरैठा तहसील मनियां दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत बरैठा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में धर्मवीर उर्फ भूरीसिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरैठा खुर्द, बरैठा को दोनों नामों से एक ही व्यक्ति होना अंकित किया है। तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत पटवारी हल्का रिपोर्ट में भी धर्मवीर उर्फ भूरीसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। अतः हम तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत बरैठा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाव प्रार्थना एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी ग्राम पंचायत बरैठा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाव प्रार्थना एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम बरैठा तहसील मनियां के आराजी खसरा नंबर 2094 रकवा 0.3794 है0, खसरा नंबर 2097 रकवा 0.4173 है0, खसरा नंबर 2098 रकवा 0.3920 है0, नंबर 2099 रकवा 0.1517, खसरा नंबर 2102 रकवा 0.0885 बांके ग्राम बरैठा तहसील मनियां जिला धौलपुर में खातेदार भूरीसिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति ठाकुर साकिनदेह खातेदार का नाम भूरीसिंह के स्थान पर धर्मवीर शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। परवाना तहसीलदार मनियां को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 5.6.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)